आदेश

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर [illegible] वेतनक्रम रू0 [illegible] में [illegible] अभ्यर्थियों को नियुक्ति [illegible] अभ्यर्थियों की सेवायें [illegible] संख्या–20/1/74–[illegible] दिनांक– [illegible] की नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।

अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति [illegible] अथवा जनजाति/पिछड़े वर्ग [illegible] की जायेगी।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	[illegible]	[illegible]
1–	श्री [illegible] कुमार पुत्र स्व0 श्री [illegible] मोहल्ला [illegible] ज्वालापुर ([illegible]) डाकखाना– ज्वालापुर जिला– हरिद्वार उत्तरांचल राज्य।	[illegible]	[illegible]

नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण करने पर [illegible] पदभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–

1– सभी शैक्षिक एवं अनुभव सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

2– दो राजपत्रित अधिकारियों [illegible] द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।

3– एक पत्नी जीवित होने अथवा अविवाहित होने का प्रमाण–पत्र।

4– मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र।

5 भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का प्रमाण पत्र।

पदभार ग्रहण करने की सूचना [illegible] दिनांक–26–03–2002 तक नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। [illegible] प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

([illegible])
निदेशक
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

सं0 [illegible]–3–पी–25 [illegible], कानपुर दिनांक– [illegible] मार्च, 2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–2, [illegible], लखनऊ।

पंजीकृत 2– श्री [illegible] सिंह उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को [illegible] पत्रांक–[illegible]–2000–2001, दिनांक–02/01/2002 के सन्दर्भ में।

3– संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा [illegible]

4– सम्बन्धित प्रधानाचार्य [illegible]

पंजीकृत 5– सम्बन्धित अभ्यर्थी को [illegible]

6– [illegible]

([illegible] कुमार)
[illegible]
[illegible]